Report of Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 27/2022 Kallu Singh Vs State of Uttar Pradesh

Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 27/2022 Kallu Singh Vs State of Uttar Pradesh vide its order dated 31.01.2022, directed the following:

"..... 1. Grievance in the application filed by the applicant Mr. Kallu Singh R/o. Village-Kailahat, PS Chunar, Mirjapur, U.P. is that one Mr. Baleshwar Singh intends to widen the bricks-kiln by increasing the width of the area adjacent to river Kalkalia by filling it with bricks and soil. It is submitted that due to the applicant is in danger of inundation duo to change in low of river Kalkalia.

2. Having regard to the seriousness of the allegations, we form a Joint Committee of the State PCB & District Magistrate, Mirzapur (Uttar Pradesh), Department of Irrigation and Flood Control, State of Uttar Pradesh to look into the grievance. The State PCB will be the Nodel agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within one month and look into the grievance of the applicant after visiting the site factual and action taken report may furnished within three months before the Ld. Register General, NGT, Delhi by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF and, if necessary, he may put the matter before the Bench for necessary directions. The application Stands disposed of."....

Accordingly the following members have been nominated for the said joint Committee:-

- Dr. T.N. Singh, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra.
- Shri Niraj Prasad Patel, S.D.M. Chunar, District-Mirzapur.
- Shri Vaibhav Singh, Executive Engineer, Canal Division, Mirzapur.

The nominated committee members have conducted the field visit of the site on dated 09.05.2022 to review the ground situation in and around the Ent-Bhattha constructed by Shri Baleshwar Singh in the Name of M/s Atul Eint Udyog, at Vill.-Sanjhauli, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur.

The factual ground situation with salient observations of the Committee are as follows:-

1. The said Brick-kiln has been established without obtaining any NOC/CTE from U.P. Pollution Control Board at Village-Sanjhauli, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur and started operation in the Ent BHattha Season 2021-22.
2. As per revenue record, the Brick-klin has been constructed and operated at Arazi No.-23 (Area 0.4810 hectare), 25 (Area 0.202 hectare), 26 (Area

0.720 hectare), 27 (Area 0.803 hectare), 28 (Area 0.7590 hectare), 29 (Area 0.3540 hectare), 30 (Area 0.3290 hectare), 33 (Area 0.1520 hectare) and 34 (Area 0.1260 hectare).

3. The River Kalkalia is flowing in the north direction of the above said area of the Ent Bhattha at a distance of approx. 50 meters.

4. The active stream of the river from the nearest border of the Ent Bhattha is Zero meter on which Ent bhattha and its allied works such as storage of soil, framing and drying of kachha Ent and its fuel i.e. wood and coal.

5. That, at the time of inspection, it was found that the over burden of the Ent Bhattha and loose soil has been dumped near the active stream of the River Kalkaliya to widen the plot area of the Ent Bhattha by filling the river basin.

6. That, a temporary bridge has been constructed on the active stream of the river to transport the raw material as well as product of the Ent bhattha without any permission of the concerned departments by filling of wood, soil, fume pipe etc.

7. That, a private polytechnic college has been established in the North-East direction at a distance of approx 300 meters in the name of M/s Unitech Polytechnic and in the North direction at 500 meter BTC college in the name of Late Sita Singh Shikashan Sansthan, Kailahat, Chuanr, Mirzapur and in the North-West direction at approx 300 meters Varanasi-Mirzapur National Highway which violates the guidelines of "THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES 2012".

8. That, notice has been served to the defaulter Ent Bhattha vide Ref. no. G001706/A-1134/Mzp/2022 dated 02.06.2022 **(annexed as Annexure No.01)** but in the due time, response has not been received in this office.

9. That, in consequence of notice issued to Ent Bhattha in reference of non-compliance of the conditions imposed, Consent to Operate granted by the Board was revoked vide Ref. No.G001778/A-1134/Mzp/2022 dated 16.06.2022 **(annexed as Annexure No.02)**.

10. That, accordingly legal action u/s 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) against the defaulter Ent Bhattha was recommended to the competent authority of the State Board vide Ref. NO. G00183/A-1134/Mzp/2022 dated 29.06.2022 **(annexed as Annexure No.03)**.

11. That, closure order has been issued vide Ref. No. H77966/C-2/Ent Bhattha-154/22 dated 01.07.2022 by the State Board u/s 31A of Air

(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) **(annexed as Annexure No.04)**.

Recommendations of the Committee:-

1. Environmental Compensation against the erring should be imposed of the operational period (taking 180 days/ Season) which is mentioned below:-

   EC= PI ×N×R× S×LF

   Where, PI=Pollution Index,

   N=No. of days from which the non-compliance has been observed

   R= 250 (In Rs.)

   S= Factor for scale of operation.

   LF=Location Factor

   In the present case,

   PI=50 (Since Ent Bhattha has been categorized in Orange Category)

   N=180 days

   S=0.5 (Since Ent Bhattha has been categories in small scale

   LF=1 (Since it is situated in rural area)

   Therefore,

   EC= 50×180×250×0.5×1

   =Rs. 1125000.00

   (Rupees Eleven Lakhs Twenty Five Thousand Only)

2. The calculated amount Rs.1125000.00 should be spent for restoration of the stretch of the Kalkaliya River which has been disturbed by the concerned project proponent.

Vaibhav Singh)	(Niraj Prasad Patel)	(Dr. T.N. Singh)
Executive Engineer,	**S.D.M. Chunar,**	**Regional Officer,**
nal Division, Mirzapur	**District-Mirzapur**	**U.P. Pollution Control Board,**
Mirzapur	**Mirzapur**	**Sonbhadra**

Annexure No – 1

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

पत्र संख्या/ F22012226/17-1134/MZP/2022

दिनांक
Date. 02/06/2022

सेवा में,

मेसर्स अतुल ईट उद्योग (यूनिट–2),
आराजी नं0 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34,
ग्राम–सहोली, पोस्ट–भरेहठा, परगना–हवेली,
तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर।

विषयः–राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति (जल/वायु) में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि आपके उद्योग के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 27/2022 कल्लू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–31.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक–09.05.2022 को नियत अधिकारियों द्वारा किया गया था। निरीक्षण में पाया गया था कि आप द्वारा आपके राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति वायु आदेश में अधिरोपित शर्त सं0–3, 13, 15, 16 एवं 19 का उल्लंघन कर उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शर्त सं0–9, 29 एवं 30 द्वारा मांगे गये प्रपत्र उपलब्ध नही कराये गये हैं, शर्त सं0 39 द्वारा रू 1.0 लाख की बैंक गारण्टी सहमति निर्गमन दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश का भी उल्लंघन कर उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त स्टैक उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढी की स्थापना नही की गयी है। उक्त की स्थापना नही किये जाने के कारण स्टैक उत्सर्जन अनुश्रवण किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिये जाते है कि तत्सम्बंध में इस कार्यालय में 01 सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरूद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,
04/06/2022
(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मिर्जापुर।
2. उप जिलाधिकारी, चुनार, मिर्जापुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

04/06/2022
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल) राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.com
Office : House no. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail : rosonbhadra@uppcb.com

Annexure No-2

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

पत्रांकः–जी001778 / ए–1134 / एम0जेड0पी0 / 2022 दिनांकः16.06.2022

सेवा में,

मेसर्स अतुल ईंट उद्योग(युनिट–2),
आराजी संख्या–23,25,26,27,28,29,30,33,34
ग्राम–सझौली, पोस्ट–भरेहठा,
तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर।

विषय–वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत निर्गत सहमति वायु एव जल आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत हों कि आपके उद्योग के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 27 / 2022 कल्लू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–31.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में आपके उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि0–09.05.2022 को नियत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि स्टैक उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की स्थापना नहीं की गयी है उक्त की स्थापना नहीं किये जाने के कारण स्टैक उत्सर्जन अनुश्रवण किया जाना संभव नहीं हो पाया। आपके ईंट भट्ठे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जारी सहमति वायु आदेश में अधिरोपित शर्त सं0 3,13,15,16 एव 19 का उल्लंघन कर उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शर्त सं0 9,29 एवं 30 द्वारा मांगे गये प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, शर्त संख्या 39 द्वारा रू0 1.0 लाख की बैंक गारण्टी सहमति निर्गमन दिनांक 15 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश का भी उल्लंघन कर उद्योग का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार आप द्वारा राज्य बोर्ड से जारी सहमति वायु में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन जानबूझ कर किया जा रहा है। उक्त संदर्भित उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों एवं सहमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालनार्थ इस कार्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या–ज़ी 001706 / ए–1134 / एम0जेड0पी0 / 2022 दिनांक–02.06.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु कार्यालय अभिलेखानुसार निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त उद्योग को प्रेषित नोटिस के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर / स्पष्टीकरण अब तक अप्राप्त है। आप द्वारा किया जा रहा उक्त कार्य निर्देशों की अवहेलना तथा पर्यावरण अधिनियमों का खुला उल्लघंन है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ संख्या–132193/UPPCB/Sonbhadra(UPPCBRO)/CTO/Air/MIRZAPUR/2021 दिनांक–06.08.2021 द्वारा निर्गत सहमति (वायु) एवं सन्दर्भ संख्या–132197/UPPCB/Sonbhadra(UPPCBRO)/CTO/Water/MIRZAPUR/2021 दिनांक–06.08.2021 द्वारा निर्गत सहमति (जल) को एतदद्वारा रिवोक किया जाता है, साथ ही सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने तथा उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये जाने के उपरान्त ही उद्योग का संचालन करें।

भवदीय,
16/06/2022

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
ग/ल क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, मिर्जापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16/06/2022
क्षेत्रीय अधिकारी
ग/ल

Annexure No-3

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 पदूषण निरांत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

संदर्भ सं0 जी 001883 / ए–1134 / एम0जेड0पी0 / 2022 दिनांक–29.06.2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स अतुल ईंट उद्योग(युनिट–2) आराजी संख्या–23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34 ग्राम सझौली, पोस्ट–भरेहटा, परगना–हवेली, तह0–चुनार, जनपद–मीरजापुर के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 77773 / सी–2 / ईट भट्ठा–154 / सोनभद्र / 22, दिनांक–28.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति पूर्व में कार्यालय के पत्रांक–जी 001839 / ए–1134 / एम0जेड0पी0 / 2022, दिनांक–22.06.2022 द्वारा प्रेषित की गयी थी। उक्त पत्र के साथ उद्योग को प्रेषित की गयी नोटिस एवं अद्यतन निरीक्षण आख्या भी प्रेषित की गयी थी। निरीक्षण आख्या में भट्ठा संचालन की अवधि निरीक्षण दिनांक को उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा नहीं बताये जाने तथा संचालन अवधि का साक्ष्य / प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण संचालन अवधि अंकित नही की गयी थी। प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–27 / 2022 कल्लु सिंह बनाम स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक–31.01.2022 के अनुपालन में गठित टीम द्वारा उद्योग का निरीक्षण कर लिया गया है, जिसकी आख्या प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही मा0 अधिकरण को प्रेषित किया जाना है। उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपरान्त प्रेषित कर दिया जायेगा। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा संचालन हेतुऑनलाइन संदर्भ संख्या–132197/UPPCB/ Sonbhadra (UPPCBRO)/CTO/water/ MIRZAPUR/2021 दिनांक 06.08. 2021 द्वारा सहमति आदेश जल वर्ष, 31.07.2026 तक एवं ऑनलाइन संदर्भ संख्या 132193 /UPPCB/ Sonbhadra (UPPCBRO) / CTO/ air/ MIRZAPUR/2021 दिनांक 06.08.2021 द्वारा सहमति आदेश वायु वर्ष, 31.07.2026 तक निर्गत किया गया था जिन्हे इस कार्यालय के पत्रांक जी 001778 / ए–1134 / एम0जड0पी0 / 2022, दिनांक–16.06.2022 द्वारा रिवोक कर लिया गया है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्ध वायु अधिनियम की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

29/06/22

(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–विधि अधिकारी (प्रभारी), विधि अनुभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

29/06/22

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure No-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. H77566 /सी-2/ईट भट्ठा-154/22 दिनॉक Date 01-7-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स अतुल ईंट उद्योग (यूनिट-2),
आराजी नं0 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34, ग्राम-सझौली, पोस्ट-भरेहठा,
तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर ।

यह कि मैसर्स अतुल ईंट उद्योग (यूनिट-2), आराजी नं0 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34, ग्राम-सझौली, पोस्ट-भरेहठा, परगना-हवेली, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, ईंट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स अतुल ईंट उद्योग (यूनिट-2), आराजी नं0 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34, ग्राम-सझौली, पोस्ट-भरेहठा, परगना-हवेली, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर का स्थल निरीक्षण दिनांक 09.05.2022 को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार ईट उद्योग की स्थापना राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है । ईट उद्योग द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत सहमति आदेश में निहित सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ईट उद्योग में अनुश्रवण हेतु यथोचित व्यवस्थायें यथा पोर्टहोल तथा सीढ़ी आदि की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण ईंट भट्ठे से जनित प्रक्रिया उत्सर्जन का अनुश्रवण किया जाना सम्भव नही है । ईंट उद्योग को जारी सहमति आदेश में निहित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 02.06.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है । ईंट उद्योग को निर्गत सहमति आदेश दिनांक 06.08.2021 को क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 16.06.2022 द्वारा रिवोक कर दिया गया है । इस प्रकार ईंट उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 29.06.2022 एवं 22.06.2022 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स अतुल ईंट उद्योग (यूनिट-2), आराजी नं0 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 एवं 34, ग्राम-सझौली, पोस्ट-भरेहठा, परगना-हवेली, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com